

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सीतापुर

पत्रांक: 4953/14-1

दिनांक: सीतापुर, 23-4-2015

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय: जनपद सीतापुर के अन्तर्गत रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा कमलापुर तथा बरई जलालपुर स्टेशनों के मध्य पुल सं०-84 के निर्माण हेतु 0.85 हे० आरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: आपका पत्रांक 6233/14-10-4 दिनांक 16.03.15 व मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, द्वारा लगायी गयी आपत्तियाँ दिनांक 21.04.15

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में आप द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव ऑन लाइन कर दिया गया है तथा प्रस्ताव की चार-चार प्रतियाँ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(५०पी० त्रिपाठी)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सीतापुर

पत्रांक:

उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित-

- (1) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
- (2) रेल विकास निगम लिमिटेड, प्रथम तल, पर्यटन भवन, सी-13, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

(५०पी० त्रिपाठी)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सीतापुर

Sub: Reply to the observations of Nodal Officer on the application for prior approval of Central Government under Section - 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of fresh Forest area at bridge No. 84 between Kamlapur and Barai Jalalpur in the district of Sitapur.

S. No.	Observation	Compliance
(1)	(2)	(3)
1	In S. No. 5 and 7, give details as required	
	S. No. 5 Working plan prescription for the forest land proposed for diversion.	There is no working plan prescription for this land. It has, since, been recorded against Item 5 of Part-II.
	S. No. 7 Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest (in km).	This distance is zero as the proposed site is in the heart of Daudpur Reserved Forest. It has, since, been recorded against Item 7(ix) of भाग-2.
2	In S. No. 8 (I), give the details of the wild life present in the area.	There is no wild life present in this area. A certificate to this effect has, since, been annexed.
3	In S. No. 13, give the details of CA area identified like Geo-Reference Map, SOI Topo Sheet and KML File uploaded for plantation of 1190 trees.	An area of 14.72 Hectare has been identified in the Grave Yard on the Left Hand Side of the road between Khairabad Chungi and Alamo Fazle Haque Chauraha leading to Kasrela. The Geo-Reference Map, SOI Topo Sheet and KML File (Google Map) are enclosed herewith. The distance between this place and Gauria Paharpur Reserved Forest is 3.75 Kilometre. In its support, Forest and Administrative boundaries Map of Sitapur Social Forestry Division is enclosed herewith. This fact has, since, been recorded against Item 10 (i) of भाग-2.
4	NPV Rates should be as per MOEF order.	NPV Rate has, since, been corrected to ₹ 6,26,000.00 per Hectare.
5	In Hard copies, enclose all the relevant documents, undertakings, maps.	In all, 13 Undertakings duly signed by the User Agency and the Divl Director, Social Forestry Division, Sitapur are enclosed herewith. Additionally, all the relevant documents and Maps are also enclosed herewith.



Divl. Director

(Page 1 of 1)

Social Forestry Division
Sitapur

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं०:
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग-2
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

क्र०	मद	विवरण
7.	परियोजना विवरण-	जनपद सीतापुर के अन्तर्गत रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा बरई जलालपुर तथा कमलापुर के मध्य ब्रिज सं०-84 के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में।
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश।
(ii)	जिला	सीतापुर।
(iii)	वन प्रभाग	सीतापुर वन प्रभाग।
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का वन क्षेत्र (हेक्टेअर में)	0.85 हे०।
(v)	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन भूमि।
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.1
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय), सिंचाई/जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एक आर०एल०एफ०, आर०एल०-2 मीटर पर परिगणना और एफ०आर०एल०-4 मीटर भी संलग्न किए जायें)	संलग्न है।
(viii)	भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू-क्षरण नहीं है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से दूरी शून्य है।
(x)	क्या फॉर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वॉर्डन की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जायें)	नहीं है।

(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणि जात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पायी जाती हैं? यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरतत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है? यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं।
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कॉलम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं, तो जाँचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है?	हाँ, न्यूनतम है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें। क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं?	नहीं।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा-	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अविकसित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों का आकार।	<ol style="list-style-type: none"> 1. खैराबाद चुंगी तथा अल्मो फजले हक चौराहे के बीच में बाएं तरफ स्थित कब्रिस्तान। 2. गौरिया आरक्षित वन से दूरी 3.75 कि०मी०। 3. एक, भूखण्ड टेढ़ा-मेढ़ा है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र एवं आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का विवरण (क्रियान्वयक एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि)	संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय (माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य/एन०पी०वी०)	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रभावित 0.85 हे० के दो गुने अर्थात् 1.7 हे० अवनत वन भूमि में रोपण हेतु रु० 196820/- प्रति हे० की दर से रु० 334594/- व्यय आएगा। 2. प्रभावित 119 वृक्षों के 10 गुना अर्थात् 1190 पौधों के ब्रिक गार्ड रोपण हेतु रु० 3680 प्रति ब्रिक गार्ड की दर से रु० 4379200/- व्यय आएगा।

		<p>3. प्रभावित 0.85 हे० की एन०पी०वी० रु० 6,26,000 प्रति हे० की दर से रु० 5,32,100/- का व्यय आएगा।</p> <p>4. कुल धनराशि रु० 52,45,894/- (रुपया बावन हजार पैंतालीस हजार आठ सौ चौरान्बे मात्र)।</p>
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	संलग्न है।
11	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट, विशेषतः उपयुक्त कॉलम-7 व 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करें।	संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल-	सीतापुर।
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल	571284.00 हे०
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	4991.17 हे०।
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	मामलों की संख्या-23 127.8465 हे०।
(iv)	1980 से जिला/प्रभागों में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण-	
	(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	119.20 हे०।
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	58.728 हे०।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति-	
	(क) वन भूमि पर	119.20 हे०।
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	58.728 हे०।
	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिशें।	जनहित एवं विकास कार्यों हेतु संस्तुति की जाती है।


तिथि :
स्थान :

हस्ताक्षर:
नाम:
सरकारी मोहर:


क्षेत्रीय वनाधिकारी
सिधौली


क्षेत्रीय वनाधिकारी
सीतापुर


उप प्रभागीय वनाधिकारी
सीतापुर


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
सीतापुर

भाग-4
(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा
भरे जाने के लिए)

क्र०	मद	विवरण
17	टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय व विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)	

तिथि :
स्थान :

हस्ताक्षर:
नाम:
सरकारी मोहर:

भाग-5

(इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी, जो आवर सचिव के पद के नीचे न हों, द्वारा भरा जाना है)

क्र0	पद	विवरण
18	राज्य सरकार की सिफारिश	

(उपयुक्त भाग- 'ख' या भाग- 'ग' या भाग- 'घ' में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय।)

तिथि :
स्थान :

हस्ताक्षर :
नाम :
सरकारी मोहर :

**SITE INSPECTION REPORT (NOT BELOW THE RANK OF DCF)
(For the forest land to be diverted under FCA)**

A proposal has been received by the Rail Vikas Nigam Limited for diversion (Under FCA-1980) of 0.85 Hectare Reserve Forest Land for Non-Forestry purpose. The Project envisaged the use of forest land for change the Bridge on diversion at Km. 68/14-15 between Kamlapur and Barai Jalalpur-Railway Station. The site inspection of the land involved in the Proposal has been done by me on dated 04.02.2015

On inspection of the site, 119 No. of trees at the said land are affected.

Land required by the use agency is forest land declared under section-29 of Indian Forest Act, 1927 vide Notification No. 104 (2)/XIV-2-503-77 dated May 09, 1977 published in U.P. Gazette, Part-I, dated 28th May 1977, P-1734 measuring 0.85 Ha. the requirement of forest land as proposed by the user agency in Column-2 Part-1 is unavoidable and is forest minimum required for the project.

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna are found in the area, if so, the details there of. N.A.

Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other monument is located in the area. If so, the details there of with NOC from competent authority if required. No

- (a) The user agency has not violated the provision for the Forest (Conservation) Act, 1980 and no work has been started without proper sanction. Yes
- (b) It has been found that the user agency had violated the forest (Conservation) Act, 1980 provision. A detail report as per Para-1.9 of Chapter-1 Part-C of Hand Book of forest (Conservation) Act, 1980 is attached. N.A.

Specific recommendation for acceptance of otherwise of the proposal-Acceptance of the proposal is recommended.


**Divisional Director
Social Forestry Division
Sitapur**

**Place: Sitapur
Date:**


- State of the purpose for which the forest land is proposed to diverted.
- Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

प्रभावित वन भूमि का विवरण

रेल मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लखनऊ - पीलीभीत वाया सीतापुर तथा लखीमपुर के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14-15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या 84 का आरक्षित वन भूमि पर प्रस्तावित निर्माण


उक्त कार्य हेतु आरक्षित वन क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण वन विभाग एवं प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा 4.2.2015 को किया गया। इस कार्य से सम्बन्धित वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम संख्या	रेंज का नाम	मार्ग का नाम	प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	वृक्षों की संख्या
1	सिधौली	कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के मध्य रेल लाइन	कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के मध्य रेल लाइन के दायीं ओर स्थित दाऊदपुर आरक्षित वन क्षेत्र में	2408.91	12
2	सीतापुर	कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के मध्य रेल लाइन	कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के मध्य रेल लाइन के दायीं ओर स्थित सरवरपुर आरक्षित वन क्षेत्र में	6067.41	107
कुल क्षेत्रफल				8476.32 वर्ग मीटर	0.85 हेक्टेयर


 वरीय मण्डल अभियन्ता (II)
 पूर्वोत्तर रेलवे
 लखनऊ
 परिष्कृत मण्डल इंजीनियर/द्वितीय
 पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ


 क्षेत्रीय वन अधिकारी
 सीतापुर


 जिला वन अधिकारी
 सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
 सीतापुर


 क्षेत्रीय वन अधिकारी
 सिधौली (सीतापुर)

स्थल संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र

रेल मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लखनऊ - पीलीभीत वाया सीतापुर तथा लखीमपुर के मध्य आमामान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14-15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या 84 का आरक्षित वन भूमि पर प्रस्तावित निर्माण हेतु स्थल का संयुक्त निरीक्षण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल में वनस्पति और प्राणी जगत की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां नहीं पायी जाती हैं। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित आरक्षित 0.85 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं किया गया हे।


क्षेत्रीय वन अधिकारी
सीतापुर


क्षेत्रीय वन अधिकारी
सिधौली (सीतापुर)


क्षेत्रीय निदेशक
राज्याधिक वानिकी वन प्रशासन
सीतापुर

डाइवर्सन सहित पुल के निर्माण में बाधक वृक्षों का प्रजातिवार/श्रेणीवार मूल्यांकन

रेल मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लखनऊ - पीलीभीत वाया सीतापुर तथा लखीमपुर के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14-15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या 84 के निर्माण में बाधक वृक्षों की सूची

क्रम संख्या	प्रजाति एवं वानस्पतिक नाम	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	मूल्यांकन (रुपये)
1	Dhak (Butea Monosperma)	31 - 60 Cm	1	↑ 120,526.00
		61 - 90 Cm	18	
		91 - 120 Cm	10	
		121 - 150 Cm	4	
		> 150 Cm	1	
2	Chilbil (Holoptelia Integrifolia)	31 - 60 Cm	5	
		61 - 90 Cm	26	
		91 - 120 Cm	5	
		121 - 150 Cm	3	
		> 150 Cm	4	
3	Semal (Bombax Ceiba)	61 - 90 Cm	1	
		91 - 120 Cm	1	
		> 150 Cm	2	
4	Peepal (Ficus Religiosa)	> 150 Cm	2	
5	Siras (Albezzia Labbeck)	61 - 90 Cm	2	
		91 - 120 Cm	1	
		> 150 Cm	1	
6	Sheesham (Dalburgia Sisoo)	91 - 120 Cm	1	
		> 150 Cm	3	
7	Arand (Ailanthus Excelsa)	61 - 90 Cm	1	
8	Sagaun (Teak)	61 - 90 Cm	1	
9	Kuthumbar, Sohariya, Kaitha, Goolar, Kankohari and Dahigala (Miscellaneous Species)	61 - 90 Cm	7	
		91 - 120 Cm	8	
		121 - 150 Cm	5	
		> 150 Cm	6	
Total			119	↓ 1,20,526.00

संज्ञा
 संत्रीय वन अधिकारी
 क्षेत्रीय मण्डल अभियन्ता (II)
 पूर्वोत्तर रेलवे
 लखनऊ


304
 क्षेत्रीय वन अधिकारी
 सीतापुर

क्षेत्रीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी वन प्रसार
 सीतापुर

लाभान्वित होने वाली आबादी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

रेल मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लखनऊ - पीलीभीत वाया सीतापुर तथा लखीमपुर के मध्य आमाम परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14-15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या 84 का आरक्षित वन भूमि पर प्रस्तावित निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुल के निर्माणोपरान्त परिक्षेत्र में जनता/कृषक बड़ी संख्या में लाभान्वित होंगे।



वरीय मण्डल अभियन्ता (II)
11268 मण्डल अभियन्ता/सि.वो./द्वारा
पूर्वोच्चर वेबकेन्द्र लखनऊ



इभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सीतापुर

वनीकरण की वचन बद्धता प्रतिपूरक वनीकरण हेतु वचन बद्धता प्रमाण पत्र

रेल मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लखनऊ - पीलीभीत वाया सीतापुर तथा लखीमपुर के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14-15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या 84 का आरक्षित वन भूमि पर प्रस्तावित निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14-15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या 84 के निर्माण में बाधक, जितने आरक्षित वृक्षों का पातन होगा, उनके प्रतिपूरक वनीकरण हेतु, जो धनराशि अभिनिर्धारित की जायेगी, उसका भुगतान करने के लिये प्रयोक्ता ऐजेन्सी वचनबद्ध है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त निर्माण से न्यूनतम वृक्ष ही प्रभावित हो रहे हैं।


04.04.15

वरीय मण्डल अभियन्ता (II)
पूर्वोत्तर रेलवे
वरिष्ठ मण्डल अभियन्ता/द्वितीय
पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ



प्रभागीय निदेशक
आवाजिक वनिकी वन प्रभाग
सीतापुर

निर्माण कार्य प्रारम्भ न करने का प्रमाण पत्र


रेल मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लखनऊ - पीलीभीत वाया सीतापुर तथा लखीमपुर के मध्य आमामान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14-15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या 84 का आरक्षित वन भूमि पर प्रस्तावित निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि वन सीमा के अन्तर्गत उक्त पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।


04.04.15
वरीय मण्डल अभियन्ता (II)
पूर्वोत्तर रेलवे
परिष्कारक इंजीनियर/द्वितीय
लखनऊ


क्षेत्रीय वन अधिकारी
सीतापुर



क्षेत्रीय वन अधिकारी
आमामानिक वास्तविक वन प्रभाग
सीतापुर


क्षेत्रीय वन अधिकारी
सिधौली (सीतापुर)

न्यूनतम भूमि का प्रमाण पत्र

रेल मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लखनऊ - पीलीभीत वाया सीतापुर तथा लखीमपुर के मध्य आमन परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14-15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या 84 का आरक्षित वन भूमि पर प्रस्तावित निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुल के निर्माण कार्य हेतु प्रभावित वांछित भूमि की मांग न्यूनतम है तथा इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है।


24.04.15
वरीय मण्डल अभियन्ता (II)
पूर्वोत्तर रेलवे
लखनऊ
अरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/द्वितीय
पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ


सहायक सहायक
समाजिक वाणिज्यिक वन प्रशासक
सीतापुर

लीज तथा लीज अवधि प्रमाण पत्र

रेल मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लखनऊ - पीलीभीत वाया सीतापुर तथा लखीमपुर के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14-15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या 84 का आरक्षित वन भूमि पर प्रस्तावित निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु भूमि लीज पर हस्तान्तरित किये जाने की आवश्यकता नहीं है अतः लीज अवधि प्रमाण पत्र लागू नहीं होता है। प्रश्नगत आरक्षित वन भूमि पर केवल निम्न दो बिन्दुओं पर अनुमति की आवश्यकता है:-

- 1- उक्त निर्माण में प्रस्तावित 0.85 हेक्टेयर आरक्षित वन पर बाधक 119 वृक्षों के पातन की अनुमति।
- 2- उक्त निर्माण में प्रस्तावित, जो आरक्षित वन है, उसके गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।


24.04.15
वरीय मण्डल अभियन्ता (II)
पूर्वोत्तर रेलवे
परिष्ठा मण्डल प्रकल्प नियंत्रक/द्वारा-
पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ


इभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सीतापुर

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

रेल मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लखनऊ - पीलीभीत वाया सीतापुर तथा लखीमपुर के मध्य आमान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14-15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या 84 का आरक्षित वन भूमि पर प्रस्तावित निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य वन विभाग को देने का वचनबद्धता दी जाती है।



04.04.15

वरीय मण्डल अभियन्ता (II)

पूर्वोत्तर रेलवे

लखनऊ

वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/द्वितीय

पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ




आमानिक अधिकारी वन विभाग

सीतापुर

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सीतापुर वन प्रभाग के अन्तर्गत कमलापुर तथा बरई जलालपुर स्टेशनो के मध्य निर्मित होने वाले ब्रिज सं० 84 के सन्दर्भ में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु खैराबाद स्थित ईदगाह, कब्रिस्तान, करबला स्थल, चयनित किया गया है जो वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध एवं उपयुक्त है।


क्षेत्रीय वन अधिकारी
सीतापुर



प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
सीतापुर।




Land Proposed for Compensatory Afforestation in Khairabad Range, Sitapur Forest Division Sitapur District

For Official Use Only

Site for Compensatory Afforestation in Khairabad Range , Grave Yard on the Left Hand Side of the Road Between Khairabad Chungi and Alamo Fazle Haque Chauraha Leding to Kasrela Sitapur Forest Division , Sitapur district



Area: 14.72 ha



Legend



GPS Coordinates



Land for Compensatory Afforestation

संशोधन अधिकारी
सिधौली (सीतापुर)

संशोधन अधिकारी
सिधौली (सीतापुर)

Prepared by



Remote Sensing Applications Centre, Uttar Pradesh
(Dept. of Science & Technology, Govt. of U.P.)
Sector-G, Jnakiapuram, Kursi Road
Lucknow 226 021

Note: Map based on GPS Coordinates and measurements given in the Drawing provided by RE(Civil),RVNL / Divisonal Director, Social Forestry Division, Sitapur.




निर्माण के लिए नहीं NOT FOR EXPORT

OPEN SERIES MAP

No. G44C10

Scale 1:50,000

G44C5 (63 A / 5)	Kheri UTTAR PRADESH G44C9 (63 A / 9)	G44C13 (63 A / 13)
G44C6 (63 A / 6)	G44C10 (63 A / 10)	G44C14 (63 A / 14)
G44C7 (63 A / 7) Hardoi UTTAR PRADESH	Sitapur UTTAR PRADESH G44C11 (63 A / 11)	G44C15 (63 A / 15)




भारतीय सर्वेक्षण विभाग SURVEY OF INDIA
 1st Edition 2009. Price : Rs. 60 / -

CONVENTIONAL SYMBOLS

- Express highway with toll, with bridge; with alternate stretch
- Roads, metalled; according to importance
- Roads, double carriageway; according to importance
- Unmetalled road, Cart-track, Pack-track with pass, Foot-path
- Stream with rock in front, unmetalled Canal
- Dams; masonry or rock-fill; earth-rock; Weir
- River, dry with water channel; with island & rocks, Tidal river
- Submerged rocks, Shoal, Swamp, Reeds
- Wells; hand, unhand, Tube well, Spring, Tank; permanent; dry
- Embankments; road or rail, bank, Broken ground
- Railways, broad gauge; double; single with station; under constn
- Railways, other gauges; double; single with station; under constn
- Mineral line or tramway, Kib, Cutting with tunnel
- Contours with sub-leatures, Rocky slopes, Cliffs
- Sand features; (Wind-blown) dune (permanent), (Silt) dune; (Shifting)
- Towns or Villages; inhabited; deserted; Fort

क्षेत्रीय वन अधिकारी सीतापुर
 क्षेत्रीय वन अधिकारी सिबोली (सीतापुर)



Forest and
 Administrative
 boundaries
 Map of Sitapur
 Social Forestry
 Division, Sitapur
 depicting Gauria
 Pahar, the nearest
 Reserved Forest from the
 proposed site for CA
 (Item No 10(I) of HPT-2)

63A/7


63A/15

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सीतापुर वन प्रभाग के अन्तर्गत कमलापुर तथा बरई जलालपुर स्टेशनो के मध्य पुल सं० 84 के निर्माण स्थल में वनस्पति एवं प्राणी जगत की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां नहीं पायी जाती है।


क्षेत्रीय वन अधिकारी
सीतापुर


क्षेत्रीय वन अधिकारी
सिधौली


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
सीतापुर।

मानक शर्तें

रेल मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लखनऊ - पीलीभीत वाया सीतापुर तथा लखीमपुर के मध्य आमामान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14-15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या 84 का आरक्षित वन भूमि पर प्रस्तावित निर्माण

(वन अनुभाग 3, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 7314/14.3.980/82 दिनांक- 31.12.1984 द्वारा निर्धारित)

1	भूमि हस्तान्तरण के बाद भी, उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2	प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा। अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3	याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग का किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4	भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5	हस्तान्तरी विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे। ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6	भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से संबंधित वनाधिकारी की देख-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7	हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8	बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9	सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10	याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किए वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगी।


 04.04.18
 वरीय मण्डल अभियन्ता (II)
 पूर्वोत्तर रेलवे
 लखनऊ
 वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर/द्वितीय
 पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ

11	सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर "एलाइनमेन्ट" तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श "भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण" के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608/सी दिनांक 10.2.82 में निहित आदेशों का पालन भी भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाय कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को मामूली फेरबदल कर पक्का करना होगा बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12	वन भूमि का मूल्य, संबंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13	वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया, जो वन विभाग उचित समझे, द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो, तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
14	हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाये, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 मीटर से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकार बाँज के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15	वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊंचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जाएगी, जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
16	यदि नहर आदि के निर्माण में भू-क्षरण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का कराना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से करायेगा।
17	उपलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त, यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगायी जाती है, तो वे याचक विभाग को मान्य होंगी।
18	वन विभाग का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

कुमार

मैं राजीव गुप्ता, वरीय मण्डल अभियन्ता (II), पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ एवं प्रयोक्ता ऐजेन्सी का प्रतिनिधि यह प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त शर्तें मान्य हैं।



वरीय मण्डल अभियन्ता (II)

पूर्वोत्तर रेलवे

लखनऊ

वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर/द्वितीय
पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ

परिषिट-

वृक्षारोपण हेतु निर्धारित व्यय भुगतान का प्रमाण पत्र

रेल मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लखनऊ - पीलीभीत वाया सीतापुर तथा लखीमपुर के मध्य आमामान परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बराई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 68/14-15 पर डाइवर्सन के साथ पुल संख्या 84 का आरक्षित वन भूमि पर प्रस्तावित निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुल के निर्माण के दौरान, जितने वृक्षों का पातन होगा, उनकी क्षतिपूर्ति के लिये वन विभाग द्वारा पुनः वृक्षारोपण हेतु, जो व्यय निर्धारित किया जायेगा, उसका धारक द्वारा भुगतान किया जायेगा।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुल के निर्माण से न्यूनतम वृक्ष ही प्रभावित हो रहे हैं।


04.04.15
वरिष्ठ मण्डल अभियन्ता (II)
पूर्वोत्तर रेलवे
लखनऊ


प्रमोदीय निदेशक
सामाजिक वारिकी वन प्रभाग
सीतापुर